

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 67/2020

बउनवान

गोमदा आयु 55 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देहरी तहसील छबडा जिला बारों
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारों
(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (अपीलांट)
2- पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.03.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1078/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम बिन्दाराडी की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 73 की रकबा 2 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 2.3.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण में वर्णित सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी-14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 24.2.2020 को गिरफ्तार किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है। अपीलांट वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

अपीलांट को यदि न्यायिक अभिरक्षा मे रखा गया तो अपीलांट का अपील पेश करना निरर्थक हो जाएगा। अपीलांट परिवार का भरण पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। अपीलांट के जेल मे रहने की सूरत मे अपीलांट के परिवार के भूखो मरने की नौबत आ जाएगी और अपीलांट को अपरिमित क्षति होगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के मिसल नम्बर 444/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 15.10.2018 से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 मे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट द्वारा भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1078/2019 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 27.12.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा मे से भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जाँच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बिन्दाराडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 73 की रकबा 2 बीघा भूमि किस्म सिवायचक भूमि पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1078/2019 मे पारित आदेश दिनांक 27.12.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर, बारों

